

15/05/19

पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त होने के कारण पेशी इत्यादी की जाकर पत्रावली दिनांक 29/05/19 को पेश हो।

29/5/19

वादी अधिवक्ता उप.।
पत्रावली पेशी दिनांक 24/04/2013 से वादी साक्ष्य में चल रही है। 6 वर्ष से अधिक का समय होने के उपरान्त भी आज पेशी दिनांक तक वादी अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य पेश नहीं किया गया। वादी अधिवक्ता को आदेश दिया जाता है कि यदि वे अपनी ओर से कोई साक्ष्य पेश करना चाहते हैं तो आगामी पेशी दिनांक पर पेश करें न ही तो न्यायालय द्वारा अपने वाद को ~~पुस ड्रप~~ के तहत खारिज कर दिया जाएगा।

पत्रावली वास्तु वादी साक्ष्य दिनांक

24/6/19 को पेश हो।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक सप्लायर (फास्ट टैंक) फतादी

04/06/19

पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त होने के कारण पेशी इत्यादी की जाकर पत्रावली दिनांक 10/06/19 को पेश हो।

18/6/19

उक्त पत्रावली सत्र 2013 से चल रही है। वादी को साक्ष्य पेश करने हेतु 6 वर्षों का समय दिया गया फिर भी वादी द्वारा आज पेशी दिनांक तक कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया और न ही आज पेशी दिनांक पर वादी कि ओर से कोई उपस्थित हुआ। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वादी वाद को चलाने में रुचि नहीं रखता है।

अतः उक्त वाद को अदालत पेशी

बर व तारीख
अहकाम जो
इस की तारीख
में जारी हुआ

FORM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

AAP-A
Crim-I

अदालत _____ मुकाम _____

बनाम _____

सं. मुकदमा नं. _____ 2013 सन् 00043

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>अदालत आदेश में जारी किया जाता है पंजावली फैसला शुमार दोकत नम्बर से एक कत दोकत दखिल दफतर है।</p> <p>सहायक जज एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रैक) फलोदी</p>	